



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/ 4129
प्रति,

दिनांक : 10/10/2016

प्राचार्य,
एडवांस कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड कामर्स
उज्जैन (म.प्र.)।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिचयन क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता-निरंतरता आवेदन क्रमांक/42, दिनांक 31.03.2016

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.07.2016 एवं 02.09.2016 में प्रस्तुत किया गया, उक्त बैठकों के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2016-17 से शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान की जाती है :-

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.कॉम.	पूर्व सत्रानुसार
02.	बी.एससी.	पूर्व सत्रानुसार
03.	बी.ए.	पूर्व सत्रानुसार
04.	बी.बी.ए.	पूर्व सत्रानुसार
05.	बी.सी.ए.	पूर्व सत्रानुसार
06.	एम.एससी.(गणित,कम्प्यूटर विज्ञान)	पूर्व सत्रानुसार

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/संबद्धता/2016/ 4130

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
4. प्राचार्य, संबंधित अग्रणी महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र।
5. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
6. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
7. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
की ओर सूचनाई।

दिनांक : 10/10/16

102
4110
प्रो.इंचार्ज(अकादमिक)



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/1891

दिनांक :- 13.06.2016

--: सूचना :-

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/पूर्व स्वीकृत संख्या में वृद्धि/सम्बद्धता निरंतरता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा परिनियम क्रमांक 27 के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया है :-

A महाविद्यालय का नाम :- एडवांस कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड कामर्स, उज्जैन।

B आवेदित विषय/पाठ्यक्रम :-

- (1) बी.कॉम.
- (2) बी.एससी.
- (3) बी.ए.
- (4) बी.बी.ए.
- (5) बी.सी.ए.
- (6) एम.एससी.

C समिति के सदस्यों के नाम :-

01. प्रो. के.एन.सिंह	-	विभागाध्यक्ष, भौतिकी अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
02. प्रो. व्ही.एच.बादशाह	-	विभागाध्यक्ष, गणित अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
03. प्रो. प्रवीण गुप्ता	-	आचार्य, सांख्यिकी अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
04. प्रो. दीपक गुप्ता	-	आचार्य, पं.ज.ने.व्यवसाय प्रबंध संस्थान, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि, वे निरीक्षण प्रतिवेदन में परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर पूर्व एवं वर्तमान का सम्बद्धता शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ प्राधिकृत, संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र भवन, क्रीड़ा परिसर, एवं पाठ्यक्रम आर्डिनेंस तथा पिछले सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी विषयों की सम्बद्धता की शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण-पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट अनुशंसाएं अंकित करें।

संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता देने के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ/संसाधन के भौतिक सत्यापन का समस्त उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति का होगा। समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचनार्थ कि कृपया अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान की गई विडीयो ग्राफी की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जा सके। विडीयो ग्राफी के खर्च का वहन महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

निरीक्षण समिति/समिति के सदस्यों का पारिभ्रमिक/यात्रा भत्ता तथा समिति द्वारा प्रयुक्त वाहन के वास्तविक व्यय आदि की राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

आदेशानुसार

प्रो. इं. चार्ज (अकादमिक)

निरंतर...02

प्रतिलिपि :-

01. समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचित किया जाता है कि, अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर प्रतिवेदन एवं निरीक्षण के दौरान की गई विडीयो ग्राफी की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध करावे ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जाने की आगामी कार्यवाही की जा सके।
02. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि, संयोजक निरीक्षण समिति से संपर्क कर अविलम्ब महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। यदि निरीक्षण नहीं कराते है तो, सम्बद्धता/निरन्तरता प्रदान करने में हुई विलम्बता के लिये विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
03. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय कृपया स्टाफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं उपलब्ध संसाधनों की जानकारी सी.डी. में अतिवार्यतः निरीक्षण समिति को उपलब्ध करायें जिससे की उच्च शिक्षा विभाग, के निर्देशानुसार उक्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जा सके।
04. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनायें प्रेषित।


अनुभाग अधिकारी(अकादमिक)